न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— मोहम्मद ताहिर (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 69 / प्रा.पत्र / 2019

1. श्रीमति इन्द्रा देवी आयु 48 साल पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.

—प्रार्थीनी

बनाम

1. श्रीमति बीना कुमारी पुत्री युधिष्ठर सिंह पत्नी श्री केशव चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी आर.के.पुरम कोटा
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा
प्रार्थना पत्र जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1. प्रार्थी की ओर श्री वहीद अहमद शेख, श्री धनराज प्रजापत
2. अप्रार्थी की ओर से श्री नरेश श्रृंगी।

—: आदेश :— दिनांक — 21.06.2019

1. प्रार्थीया की ओर से उपरोक्त उनवान का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 24.10.2017 को पेश किया गया।
2. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 239 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 352 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 394 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में अंगूरी देवी पत्नी युधिष्ठर सिंह का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज है। उक्त भूमि अंगूरी देवी की स्वअर्जित भूमि थी। अंगूरी देवी के द्वारा दिनांक 07—03—2014 को प्रार्थी के पक्ष मे उपरोक्त भूमि का वसीयत नामा निष्पादित किया था। इस प्रकार वसीयत नामा के आधार पर उक्त भूमि पर प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

का ही हक व अधिकार है। अंगूरी देवी का देहान्त हो चुका है। अंगूरी देवी की पुत्री अप्रार्थी संख्या 1 के मन मे बदनियती आ गई है। वह उक्त भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से राजस्व रिकॉर्ड मे अपना दर्ज करवाकर प्रार्थीया को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसे दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर किया।

4. बहस सुनी गई। हमने उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना का निस्तारण करने पर निम्न तीन बिन्दू विचारणीय होते है –

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णनीय क्षति

<u>प्रथमदृष्टया मामला :–</u> प्रार्थीया के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि वसीयतकर्ता अंगूरी देवी की स्वअर्जित सम्पत्ति है जो वसीयत के माध्यम से प्रार्थीया को दी गई है। अप्रार्थीया का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। वाद मे जॉच के लिए यह सारवान प्रश्न अन्तरनिहित है कि वसीयत नामा दिनांक 07–03–2014 संदिग्ध एवं छलकपट पूर्वक निष्पादित तो नहीं किया गया है। उक्त तथ्य उभयपक्षो की साक्ष्य के बाद तय होगा। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे प्रमाणित है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीया के पक्ष मे वसीयत नामा निष्पादित किया गया है तथा वसीयत नामा के आधार पर प्रार्थीया के द्वारा खातेदारी प्राप्त करने का अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद का निर्णय उभयपक्षों के साक्ष्य के बाद ही होगा। तब तक के लिए वादग्रस्त सम्पत्ति की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे प्रथमदृष्टया मामले का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे तय किया जाता है।

<u>सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति :–</u> उपरोक्त दोनो बिन्दुओं का विवेचन एवं विश्लेषण सुविधा के दृष्टिकोण से एक साथ किया जा रहा है। दौराने वाद वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

सम्पत्ति का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे तस्दीक कर दिया गया तो अप्रार्थी संख्या 2 उक्त भूमि से प्रार्थीया को बेदखल कर देगी जिससे प्रार्थीया को घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा तथा ऐसी क्षति का सामना करना पड़ेगा जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण तय किये जाते है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र निस्तारण के तीनो बिन्दू प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे तय किये गये है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के प्रार्थीया के कब्जे कास्त में दखल अंदाजी नही करे, प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी (राज0)